



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा महिला सुरक्षा एवं सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत बाद पुलिस मुठभेड़ छात्रा से छेड़खानी करने वाला, छात्रा व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देने तथा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के मुकदमें में वांछित 01 बदमाश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर व 02 खोखा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद**

- मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता ,सुरक्षा ,स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान “मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमेन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर निरन्तर जागरूक किया जा रहा है।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गोकशी एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18.09.2025 की रात्रि को थानाध्यक्ष सरसावा द्वारा मय फोर्स सरसावा से नकुड़ जाने वाली रोड पर ग्राम माजरी कलां जाने वाले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी। तभी नकुड़ की तरफ से सरसावा की ओर जाने वाली रोड पर एक मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति आता दिखायी दिया। संदिग्ध व्यक्ति प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर मोटरसाइकिल सवार को रुकने का ईशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल रोककर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर हडबड़ी में ग्राम माजरी कला की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया। कुछ दुरी पर जाकर बदमाश की मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाश द्वारा पुनः जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार घायल बदमाश की पहचान **शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी निवासी ग्राम सरसोहेड़ी थाना सरसावा सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश के कब्जे से **01 तमंचा .315 बोर व 02**

खोखा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर एवं 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा छात्रा से छेड़खानी करने, छात्रा व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी देने तथा सोशल मीडिया पर धमकी का वीडियो वायरल करने के संबंध में थाना सरसावा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 370/25 धारा 351(2) ,352,74,78,बी.एन.एस.,7/8 पोक्सो एक्ट एवं 3(1)(द),3(1)(ध) व 5(2)3(क) एस.सी /एस.टी एक्ट तथा मु0अ0सं0 379/25 धारा 351(2),352 बी.एन.एस. व 67 आई.टी.एक्ट दोनो मुकदमों का वांछित अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध थाना सरसावा व कोतवाली देहात पर शराब तस्करी व जान से मारने की धमकी देने जैसी आपराधिक घटनाओं में कुल 04 मुकदमें पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 380/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण-** पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त शिवम उपरोक्त ने बताया कि दिनांक 08.09.25 को मैंने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर मेरे ही गांव की रहने वाली एक लड़की जो डी.सी जैन कालिज सरसावा में कक्षा 11 वीं में पढ़ती है, उसके विद्यालय परिसर में क्लास रूम में जाकर उसके सिर पर तमंचा रखकर छेड़खानी करने तथा उसके घर जाकर छात्रा व उसके परिवारजनों के साथ गाली गलौच करने व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके बाद मैंने अपनी इन्स्टाग्राम आईडी पर छात्रा के भाई व उसके परिवारजनों को गाली गलौच करते हुए उन्हें डराने व जान से मारने की धमकी देते हुए स्वयं की एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की थी, ताकि छात्रा के परिवार वाले डर जाये व मेरे विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई भी कानूनी कार्यवाही के लिये पुलिस के पास न जाये। दिनांक 18.09.2025 की रात्रि को जब मैं पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से कहीं अपनी किसी रिश्तेदारी में अपने साथ अवैध अस्लाह लेकर जा रहा था तो तभी सरसावा नकुड रोड पर पुलिस को चैकिंग करता देख मैं डर गया और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर ग्राम माजरी कला की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा मेरा पीछा किया गया। हड़बड़ी में मेरी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख मैंने पुनः पुलिस पर फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगा। कुछ समय बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

शिवम त्यागी पुत्र सचिन त्यागी निवासी ग्राम सरसोहेड़ी थाना सरसावा सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण-**

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा/ 01 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट मोटरसाइकिल

### **गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-**

1. मु0अ0सं0 390/20 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

2. मु0अ0सं0 186/22 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 370/2025 धारा 74/78/351(2)/352 भारतीय न्याय संहिता व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)(द), 3(1)(ध) व 3(2)5क एससीएसटी एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 379/2025 धारा 351(2),352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 380/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1.थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री नीरज कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
- 3.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सागर थाना सरसावा सहारनपुर
- 4.है0का0 892 अजय राठी थाना सरसावा सहारनपुर
- 5.का0 2331 लवलेश राठी थाना सरसावा सहारनपुर
- 6.का0 1997 विनीत चौधरी थाना सरसावा सहारनपुर
- 7.का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा सहारनपुर
- 8.का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ ग्राम गणेशपुर के जंगलो में गोकशी का प्रयास कर रहे 02 गोकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर व 02 खोखा/ 03 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी करने के उपकरण व 01 जिंदा गोवंश बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती एवं गोकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिस अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 18/19.09.2025 की रात्रि को थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की ग्राम गणेशपुर के जंगलो में तीन व्यक्ति गोकशी की घटना करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर चौकी इंचार्ज मोहण्ड व थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ मय फोर्स सहारनपुर से देहरादून की ओर जाने वाली रोड़ से होते हुए ग्राम गणेशपुर के जंगलो की तरफ जाने वाले रास्ते पर पहुँचे। तभी पुलिस टीम को किसी जानवर के रंभाने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही पुलिस टीम आवाज की दिशा की ओर चली तो देखा की तीन व्यक्ति एक गोवंश को पेड़ से बांधकर हाथ में चाकू लिये हुये गोकशी करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशो/गोकशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु कॉम्बिंग की जा रही है। गिरफ्तार/घायल गोकशो की पहचान 1. जावेद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड व 2. इसरान पुत्र वाजिद निवासी ग्राम गोकलवाला थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड के रूप में हुई। गिरफ्तार/घायल बदमाशों को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल गोकशों के कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर व 02 खोखा/ 03 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी करने के उपकरण (01 कुल्हाड़ी, 02 छुरे, नायलान की रस्सी आदि) एवं 01 जिंदा गोवंश बरामद हुए। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 113/25 अन्तर्गत धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/28 आर्म्स एक्ट व 3/8 गौवध अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पुछताछ का विवरण-** अभियुक्तगण ने एक स्वर में बताया कि हम अवैध रूप से धन अर्जन करने हेतु आवारा गौवंशो को दिन में तलाश करते हैं एवं गौवंशो को तलाश कर कहीं जंगल में बांध देते हैं व रात होते ही उनको काटकर उनके मीट को दूर दराज गावो में घूमकर बेच देते हैं एवं गोकशी करके उनके वेस्ट को कहीं बहते नदी नाले में बहा देते हैं। जिससे मौके पर कोई अवशेष न मिले और हमारे कार्य का किसी को पता न चले। हमने पूर्व में कई गौवंशो को जंगलों में काटकर उनके अवशेषो को नदी नालो में बहाकर उनके मीट को बेचकर अवैध रूप से धन अर्जन किया है। आज भी हम इस गाय के बछड़ों को जंगल में छुट्टा घुमते समय पकड कर काटने के लिये लेकर सुनसान जगह पर लेकर आये थे और इसे काटने ही वाले थे कि पुलिस ने हमें पकड लिया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

1. जावेद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. इसरान पुत्र वाजिद निवासी ग्राम गोकलवाला थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

### **बरामदगी का विवरण-**

- 01 रास गौवंश(बछडा)
- 02 तमंचे 315 बोर व 03 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर नाल मे फंसे हुये
- 02 छुरे
- 01 कुल्हाड़ी
- 01 लकडी का गुटका व 02 प्लास्टिक के कट्टे

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
4. है0का0 1271 रोहित थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
5. है0का0 912 मोतीलाल थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
7. का0 130 मोहित कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर
8. का0 1557 गौरव कुमारथाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 38 किलोग्राम ताँबे का तार व 5.350 किलोग्राम एल्युमिनियम तार बरामद-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान अभियुक्त 1.मोहित पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर, 2.राहुल पुत्र कल्लूराम निवासी सरकडी खुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर 3.हसीन पुत्र अनीश निवासी लुहानी सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी का ताँबे का तार कुल वजन 38 किलोग्राम तथा एल्युमिनियम का तार कुल वजन 5.350 किलो ग्राम बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0- 197/25 धारा- 317(5)/317(4) भारतीय न्याय संहिता 2023 के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि इस तार जिनको हम दोनो ने रामपुर मनिहारान में मकान, व अन्य क्षेत्रों की ट्यूबवैलो से चोरी किया था। रात्रि के समय हम ट्यूबवैलो पर जाते हैं उन पर लगे मोटर को तोड़कर अन्दर का तार और कटाऊट को तोड़कर ताँबे के पार्ट को निकाल लेते हैं तथा केबिलो के तारों को जलाकर उनके अन्दर के तार को निकाल लेते हैं और कबाड़ी की दुकान पर बेच देते हैं, आज हम इन सभी चोरी किये गये ताँबे व सिल्वर के तारों को इस कबाड़ी हसीन को बेचने आये हैं, हमारे चोरी के सामान को यह हसीन कबाड़ी ही खरीदता है और पहले भी हम कई बार कबाड़ी हसीन को चोरी तार बेच चुके हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

- 1.मोहित पाल पुत्र ओमप्रकाश निवासी देवला थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 2.राहुल पुत्र कल्लूराम निवासी सरकडी खुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
- 3.हसीन पुत्र अनीश निवासी लुहानी सराय थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

- 38 किलोग्राम ताँबे का तार
- 5.350 किलोग्राम एल्युमिनियम का तार

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 1063 शान मौहम्मद थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 422 जसवन्त सिंह थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।
4. का0 1354 अभिषेक थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर



दिनांक -19 .09.2025

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर  
नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा”-“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चौकियों के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर/अभियुक्त रविश पुत्र आरिफ उर्फ छम्मन निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को बीबीपुर मोड पर अर्ध निर्मित बनी दुकान के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-720/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -**

रविश पुत्र आरिफ उर्फ छम्मन निवासी मौहल्ला पठानपुरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण -**

➤ 10 ग्राम अवैध स्मैक

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

- 1- उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 2- का0 16 पवन सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 3- का0 2019 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
- 4- का0 2017 रवि राठी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक -19.09.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू

### बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त **उसमान पुत्र फुरकान निवासी मौ0 कोला बस्ती टावर के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को बाबुपुर नगली रजवाहे की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **एक अवैध चाकू** बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0- 721/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. उसमान पुत्र फुरकान निवासी मौ0 कोला बस्ती टावर के पास कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण -

➤ 01 अवैध चाकू

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

5- उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

6- है0का0 1124 राहुल कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

7- है0का0 1047 सतीश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.09.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा, सहारनपुर पुलिस द्वारा शातिर अभियुक्त/हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से 45**

**पच्चे देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का व 01 अवैध चाकू बरामद।**

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद फरौख्त करने व तस्करी की रोकथाम व वाछिंत अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थाना प्रभारी थाना सरसावा विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.09.25 को थाना सरसावा के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त **वसीम उर्फ चीना पुत्र वाजिद निवासी मौ0 हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को ग्राम असदपुर को जाने वाला रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 45 पच्चे देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का व एक चाकू नाजायज बरामद हुये। बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 381/2025 धारा 63 आबकारी अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

### **पूछताछ का विवरण**

अभियुक्त से पूछताछ की गई तो बताया कि मैं नशा करने का आदि हूँ पहले भी कई बार जा चुका हूँ अपना खर्चा चलाने के लिये हरियाणा राज्य की सस्ती शराब को चोरी छिपे खरीद कर हाईवे पर आने जाने वाले ड्राईवरो को काफी मँहगे दामो में बेचता हूँ। शराब बेचकर मेरा नशे खर्च भी चल जाता है। लोगो को डराने के लिये अपने पास चाकू रखता हूँ।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

वसीम उर्फ चीना पुत्र वाजिद निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण-**

- 45 पच्चे देशी शराब माल्टा हरियाणा मार्का
- 01 चाकू नाजायज

### **अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:—**

1. मु0अ0सं0 241/19 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 343/20 धारा 414, 465 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 344/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 85/21 धारा 380,411भादवि सरसावा सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 313/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सरसावा सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 334/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट सरसावा सहारनपुर
7. मु0अ0सं0 452/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम सरसावा सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 128/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम सरसावा सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 371/22 धारा 10 उ0प्र0गु0नि0अधिनियम सरसावा सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 70/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट सरसावा सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 19/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम सरसावा सहारनपुर

12.मु0अ0सं0 219/24 धारा 305,317(2),331(3) बीएनएस सरसावा सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
2. हे0का0 1062 अमित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर
3. हैका0 1011 नरेन्द्र कुमार थाना सरसावा सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक - 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 NBW वारण्टियों को किया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर महोदय द्वारा जनपद में वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय, सहारनपुर के निकट पर्वक्षेत्र में तथा थाना प्रभारी जनकपुरी श्री प्रविन्द्रपाल के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त 1. शमशेर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सडक दुधली ईदगाह चोक टावर वाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं० 800/24 मु०अ०सं० 214/03 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना जनकपुरी 2. रवि कुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम सडक दूधली बडी मस्जिद पीरवाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं०-6237/25 धारा 504/506 भादवि को गिरफ्तार किया गया। सभी वारण्टियों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**गिरफ्तार वारण्टियों का नाम व पता:-**

1. शमशेर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम सडक दुधली ईदगाह चोक टावर वाली गली थाना जनकपुरी जिला सहारनपुर
2. रवि कुमार पुत्र चमनलाल निवासी ग्राम सडक दूधली बडी मस्जिद पीरवाली गली थाना जनकपुरी सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

1. उ०नि० श्री चन्द्रपाल सिंह थाना जनकपुरी सहारनपुर
2. उ०नि० श्री विवेक वैद्यवान थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. है०का० 663 बालेन्द्र सिंह थाना जनकपुरी सहारनपुर
4. है०का० 574 अश्वनी थाना जनकपुरी सहारनपुर



दिनांक 19.09.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा हैड बैग से चोरी करने वाली 02 शातिर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये शत-प्रतिशत 1,00,000/-रूपये बरामद-**

अवगत कराना है कि दिनांक 16.09.2025 को वादिया श्रीमति रितु वर्मा पत्नि राजीव कुमार निवासी बी 183, ज्योति लेन वजीराबाद दिल्ली द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादिया के पिताजी कर्ण सिंह वर्मा द्वारा बैंक से निकाले गये 01 लाख रुपये आटो मे जाते समय हैण्ड बैग से चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 484/25 धारा 303(2) बी0एन0एस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियोग का अनावरण कर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। आदेश/निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर महिला चोर 1. आरती पत्नि सुरेश निवासी गली न0 8 हरि नगर थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा 2. रचना पत्नि जिले सिंह निवासी कैम्प कालोनी थाना सदर जिला पलवल हरियाणा को आईटीसी रोड निकट हरि मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तागण के कब्जे से चोरी किये गये 01 लाख रुपये बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस वृद्धि की गयी। अभियुक्ता उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**विवरण पूछताछ-** अभियुक्तागण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम अपने छोटे- 2 बच्चों के साथ अलग -2 शहर में बैंको के आसपास रैकी करते रहते हैं बैंक से जो व्यक्ति हैण्ड बैग आदि लेकर निकलता है हम पहचान जाते कि यह व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल कर लाया है। हम लोग भी उसके साथ आटो या ई रिक्शा में दोनों तरफ से घेर कर अपने छोटे बच्चों के साथ बैठ जाते हैं तथा मौका मिलने पर उसके बैग से पैसे चोरी कर लेते हैं। दिनांक 16.09.2025 को एक व्यक्ति सैन्ट्रल बैंक से हैड बैग लेकर निकला था तभी हमने उसे पहचान लिया कि ये बैंक से पैसे लेकर आया है। तभी हम उसके साथ आटो में बैठ गयी तथा हसनपुर चुंगी से पहले उसके बैग से पैसे निकाल कर हसनपुर चुंगी पर आटो से उतर गये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्तागण का नाम व पता -**

1. आरती पत्नि सुरेश निवासी गली न0 8 हरि नगर थाना कैम्प जिला पलवल हरियाणा
2. रचना पत्नि जिले सिंह निवासी कैम्प कालोनी थाना सदर जिला पलवल हरियाणा

**बरामदगी का विवरण -**

- 50000/-रूपये अभियुक्ता आरती से बरामद
- 50000/-रूपये अभियुक्ता रचना से बरामद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री जयवीर कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. का0 2522 अमित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. म0है0का 1133 अन्वेष थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 19.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

**थाना बिहारीगढ़, सहारनपुर पुलिस द्वारा मुठभेड़ के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 19.09.2025 की रात्रि में गोकशो से हुई पुलिस मुठभेड़ गिरफ्तार अभियुक्तगण 1.जावेद पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड 2. इसरान पुत्र वाजिद निवासी ग्राम गोकलवाला थाना बुग्गावाल जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड का एक साथी इसरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड अंधेरे एवं जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया था। उक्त के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0स0 113/25 अन्तर्गत धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/28 आर्म्स एक्ट व 3/8 गौवध अधि0 पंजीकृत किया गया। फरार अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु टीम बनाकर लगातार प्रयास किये जा रहे थे।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **इसरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड** को गणेशपुर कट से बंजारावाला की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ते के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**पूछताछ का विवरण :-** पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त **इसरान पुत्र सत्तार** उपरोक्त ने बताया कि मैं व मेरा भाई जावेद व इसरान पुत्र वाजिद निवासी ग्राम गोकलवाला थाना बुग्गावाल जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड मिलकर अवैध रूप से धन अर्जन करने हेतु आवारा गौवंशो को दिन में तलाश करते है एव गौवंशो को तलाश कर कहीं जंगल में बांध देते है एवं रात होते ही उनको काटकर उनके मीट को दूर दराज गावो में घूमकर बेच देते है एवं गौकशी करके उनके वेस्ट को कहीं बहते नदी नाले में बहा देते है। जिससे मौके पर कोई अवशेष न मिले और हमारे कार्य का किसी को पता न चले। हमने पूर्व में कई गौवंशो को जंगलों में काटकर उनके अवशेषो को नदी नालो में बहाकर उनके मीट को बेचकर अवैध रूप से धन अर्जन किया है। कल भी हम गाय के एक बछड़ें को जंगल मे छुट्टा घुमते समय पकड कर काटने के लिये लेकर सुनसान जगह पर लेकर आये थे और इसे काटने ही वाले थे कि पुलिस टीम आ गयी और बचने के लिये हम तीनों ने मिलकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी। मेरा तमंचा नहीं चला तो मैं घबराकर अन्धेरे में बचकर वहां से भाग गया था। तथा मेरे दोनो साथी पकडे गये थे। आज मैं छिपने के लिये देहरादून जा रहा था कि पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और ये वही तमंचा जो आज मुझसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

इसरान पुत्र सत्तार निवासी ग्राम बंदरजूड थाना बुग्गावाला जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड

**बरामदगी का विवरण –**

➤ 01 तमंचा 315 बोर

➤ 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 ब्रजपाल सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. का0 2071 इस्लाम थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19-09-2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 02 वांछित

### अभियुक्त को किया गिरफ्तार, दुपट्टा बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 18.09.2025 को वादी श्री राम सिंह पुत्र गोपीचन्द निवासी ग्राम गढ करीमपुर थाना खतौली जिला मु0नगर द्वारा दाखिला तहीर बावत अभि0गण 1.ललित कुमार उर्फ लिल्ला पुत्र बृजपाल 2.अनिल कुमार उर्फ पटवारी पुत्र बृजपाल निवासीगण सुभरी मेहराब थाना नांगल जिला सहारनपुर द्वारा वादी की बहन सविता को गाली गलौच करते हुये लात-घूसो व लाठी डण्डो से मारपीट कर षंडयत्र के तहत सविता की चुनरी (दुपट्टा) से गला घोटकर तथा मारकर ऊपर छत पर चुनरी से बाँध कर लटका देने के सम्बन्ध में थाना नांगल पर मु0अ0सं0 289/25 धारा 103(1)/61(2)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत कराया था तथा दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्यो के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/61(2) बीएनएस का विलोप कर धारा 108/115(2)/352 बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में नांगल पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को मात्र 24 घण्टे के अन्दर मुखबिर की सूचना पर सूभरी मेहराब बस स्टोप से अभि0गण 1.ललित कुमार उर्फ लिल्ला पुत्र बृजपाल 2.अनिल कुमार उर्फ पटवारी पुत्र बृजपाल निवासीगण सुभरी मेहराब थाना नांगल जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 289/25 धारा 108/115(2)/352 बीएनएस को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1.ललित कुमार उर्फ लिल्ला पुत्र बृजपाल निवासी ग्राम सुभरी मेहराब थाना नांगल सहारनपुर
- 2.अनिल कुमार उर्फ पटवारी पुत्र बृजपाल निवासी सुभरी मेहराब थाना नांगल जिला सहारनपुर

### बरामदगी का विवरण:-

➤ 01 दुपट्टा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल सहारनपुर
2. निरीक्षक श्री बीरबल सिंह थाना नांगल जिला सहारनपुर
3. है0का0 1284 धर्मेन्द्र कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
4. है0का0 1006 तरुण कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर
5. का0 1851 पंकज कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

## “ऑपरेशन सवेरा”



दिनांक -19 .09.2025

### “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01**

**शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद**

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों /नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी,बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतू परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा”-“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त प्रवेश पुत्र चन्द्रदास निवासी टेलीफोन एक्सचेन्ज साइधाम कालोनी पिजौरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को सन्तागढ की तरफ जाने वाले रास्ते पर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 440/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

प्रवेश पुत्र चन्द्रदास निवासी टेलीफोन एक्सचेन्ज साइधाम कालोनी पिजौरा थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

#### **बरामदगी का विवरण**

➤ 250 ग्राम अवैध चरस

#### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सचिन त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. का0 2440 हरकेश थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
6. का0 2098 अमित कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.09.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार।**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 19.09.25 को 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.सतीश पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना नकुड़ सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 3689/2025 मु0अ0स0 230/2016 धारा 457/380/511 भादवि सम्बन्धित मा0न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर 2.रजत पुत्र कंवरपाल निवासी मौहल्ला चौधरीयान थाना नकुड़ सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0 2954/2025 मु0अ0स0 69/18 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम सम्बन्धित मा0न्याया0 न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर को इनके घरों से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के नाम व पते**

- 1.सतीश पुत्र इलम सिंह निवासी ग्राम सुल्तानपुर थाना नकुड़ सहारनपुर
- 2.रजत पुत्र कंवरपाल निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. प्र0नि0 श्री संतोष कुमार त्यागी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
2. उ0नि0 श्री शौकीन खान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
4. है0का0 1021 मतीन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,
5. है0का0 320 तरुण कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर,



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**मिशन शक्ति महिला सशक्तिकरण के तहत थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा स्कूल/कालेजो के पास छात्राओ को देखकर हुडदंगबाजी कर रहे 30 मनचले युवको को पकडकर सख्त हिदायत कर उनके परिजनो के सुपुर्द किया गया।**

अवगत कराना है कि उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में प्रदेश सरकार द्वारा चलाये जा रहे महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत मिशन शक्ति योजना के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना गागलहेडी एन्टी रोमियो टीम द्वारा कस्बा गागलहेडी में स्कूल/कालेज के आस पास छात्राओ को देखकर हुडदंग बाजी कर रहे थाना क्षेत्र के 30 युवको को पकडकर थाना लाया गया। सभी युवको के परिजनो से सम्पर्क कर थाना बुलाया गया तथा युवको के द्वारा किये जा रहे कृत्य के बारे में बताया गया। सभी युवको को बाद हिदायत देकर उनके परिजनो के सुपुर्दगी में देकर सकुशल थाना से खाना किया गया। हिदायत दी गयी की भविष्य में ऐसा करते पाये जाने पर सख्त विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

### **गिरफ्तार करने वाली टीम**

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रविकान्त गिरी थाना गागलहेडी सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री ओमपाल मलिक थाना गागलहेडी सहारनपुर
4. का0 398 नरदेव कुमार थाना गागलहेडी सहारनपुर
5. म0है0का0 1152 रेणु देवी थाना गागलहेडी सहारनपुर
6. म0का0 1332 ज्योति थाना गागलहेडी सहारनपुर

➡ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

➡ उ0प्र0 सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमैन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है।



दिनांक:-19.09.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व शांतिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 19.9.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1 . साकिब पुत्र नौशाद निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर 2.साहिल पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 01-01 चाकू नाजायज बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 383/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता: -

1. साकिब पुत्र नौशाद निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. साहिल पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जिला सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण:-

➤ 02 चाकू

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 1062 अमित थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. का0 2377 बृजेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

**थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 बैटरी व 1000/- रुपये बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2025 को ग्राम महेशपुर में अज्ञात चोर द्वारा चमेली देवी आजाद राणा फार्म हाऊस से रोडवेज बस से दो बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध में थाना बडगाँव पर दिनांक 06.06.2025 को वादी श्री विकास कुमार पुत्र मदन निवासी ग्राम चिराऊ थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 104/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 27/28.07.2025 की रात्री में अज्ञात चोर बेलडा बुलिया के पास स्थित मुर्गी फार्म से दो बैटरी चोरी करने के सम्बन्ध थाना बडगाँव पर दिनांक 28.07.2025 को वादी श्री सचिन पुत्र विनोद कुमार निवासी ग्राम भायला कला थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 149/25 धारा 303(2)) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री सुनील शर्मा के कुशल नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 19.09.2025 को 01 अभियुक्त **रवि पुत्र रामकला निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को नूनाबडी के पास नहरवाई के पास बने कमरे से गिरफ्तार किया गया अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 बैटरी व 1000 रुपये बरामद हुए। अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

**पूछताछ विवरण** गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि मैंने दिनांक 25.05.25 को चमेली देवी आजाद राणा फार्म हाऊस में खडी रोडवेज बस से 02 बैटरी व दिनांक 27/28.07.25 को मुर्गी फार्म से 02 बैटरी चोरी की थी जिसमें से 03 बैटरे बेच दिये थे एक बैटरा बेचने जा रहा था कि पकडा गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता**

**रवि पुत्र रामकला निवासी ग्राम बालू माजरा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर**

### **अभियुक्त रवि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास**

- 1- मु0अ0सं0 104/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 2- मु0अ0सं0 149/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 3- मु0अ0सं0 192/25 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

### **बरामदगी का विवरण:**

- बैटरा 01
- 1000 रुपये

### **गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता**

1. प्र0नि0 श्री सुनील शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र राव थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर।
3. हे0कां0 1202 उमरेश कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
4. हे0कां0 638 अमित कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना बडगाँव, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी के अपराधो मे संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद चाकू नाजायज, 01 किलो ताँबे का तार, 01 बैट्री व 01 इन्वर्टर, 01 सफेद धातु की पाजेब सहित किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.04.2025 को अज्ञात चोर द्वारा संस्था विश्व मानव रूहानी केन्द्र सर्विस रोड बेटरे, इन्वर्टर आदि चोरी के सम्बन्ध मे थाना बडगाँव पर दिनांक 27.04.2025 को वादी सुरेन्द्र पुत्र जुम्मा सिंह निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था तथा दिनांक 03.08.25 को अज्ञात चोर द्वारा ग्राम सिरसली कला मे घर से आभूषण व नगदी चोरी की थी जिस सम्बन्ध मे थाना बडगाँव पर वादिया श्रीमती रीना उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 157/2025 धारा 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया एवं दिनांक 24.08.2025 को कस्बा बडगाँव से अज्ञात चोर द्वारा ट्यूबैल से पानी की मोटर चोरी के सम्बन्ध में वादी दीपक उपरोक्त की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 177/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में वाँछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री सुनील शर्मा के कुशल नेतृत्व में घटना का सफल अनावरण करते हुए आज दिनांक 19.09.2025 को 01 **समून उर्फ पून पुत्र फराकत निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर** को नूनाबडी के पास नहरवाई के पास बने कमरे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चाकू बरामद हुआ। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी किये गये सामान मे से 01 किलो ताँबे का तार, 01 बैट्री व 01 इन्वर्टर, 01 सफेद धातु की पाजेब बरामद किया गया । अभियुक्त से बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी तथा बरामद चाकू के आधार पर थाना बडगाँव पर मु0अ0सं0 206/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

समून उर्फ पून पुत्र फराकत निवासी ग्राम नूनाबडी थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर

#### अभियुक्त समून उर्फ पून उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

- 4- मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 5- मु0अ0सं0 157/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 6- मु0अ0सं0 177/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बडगाँव जिला सहारनपुर
- 7- मु0अ0सं0 206/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।

#### बरामदगी का विवरण:

- 01 बैटरी 01 इन्वर्टर –(सम्बन्धित मु0अ0सं0 72/25 धारा 303(2) बीएनएस )
- 01 अदद चाकू ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 206/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट )
- 01 किलो ताँबे का तार ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 177/25 धारा 303(2) बीएनएस
- एक सफेद धातु की पाजेब ( सम्बन्धित मु0अ0सं0 157/25 धारा 305(ए) बीएनएस

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का नाम पता

- 1- प्र0नि0 श्री सुनील शर्मा थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 2- उ0नि0 मौ0 कामिल थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री निर्मल सिंह थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर
- 4- हे0कां0 231 रोहित कुमार थाना बडगाँव जनपद सहारनपुर



दिनांक: 19.09.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमन्चे व 02**

**जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में नकबजनी/चोरी/लूट/अवैध शस्त्र की बिक्री की रोकथाम व शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना गागलहेडी सहारनपुर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर अभियुक्तगण 1.अभिमन्यु पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 2.शिवम पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर को ग्राम हरौडा के जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अवैध तमन्चा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किये गये। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गागलहेडी पर क्रमशः मु0अ0सं0 253/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभिमन्यु उपरोक्त एवं मु0अ0सं0 254/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम शिवम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1. अभिमन्यु पुत्र सुशील कुमार निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. शिवम पुत्र सुरेश कुमार निवासी ग्राम पाली थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 02 अवैध तमन्चे व 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुभाष चन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री देवकरन शर्मा थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
4. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
5. का0 398 नरदेव थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
3. का0 295 विकेश थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. का0 1035 हरेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.09.2025

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

### थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा **वारण्टी अभियुक्त** को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को वारण्टी अभियुक्त रवि पुत्र हुक्म सुंह विवासी दीनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर को सम्बन्धित वाद स0 2633/25 मु0अ0स0 242/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रवि पुत्र हुक्म सुंह विवासी दीनारपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर
- 2.उ0नि0 श्री रविकान्त गिरी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. है0का 40 0सन्नी तेवतिया थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर



दिनांक 19-09-2025

## -प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को एनडीपीएस एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 09.12.17 को वादी उ0नि0 राहुल कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की सूचना द्वारा अभियुक्त अहसान पुत्र शौकत निवासी ग्राम गुमटी मलकपुर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर के कब्जे से 02 किलो डोडा पोस्त बरामद होने की सूचना पर मु0अ0स0-516/17 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-165/18 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन **OPERATION CONVICTION** चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 को अभियुक्त अहसान पुत्र शौकत निवासी ग्राम गुमटी मलकपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-516/17 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट को दोषी पाते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय-अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी

विवेचक- उ0नि0 गजेन्द्र सिंह त्यागी

पैरोकार-का0 253 मनोज कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 19.09.2025

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा वारंटी अभियुक्त इमलाख पुत्र इन्तजार निवासी अजीज कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को सम्बंधित वाद संख्या 691/21 धारा 136/137 विद्युत अधिनियम चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अभियुक्त इमलाख पुत्र इन्तजार निवासी अजीज कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री योगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल कुमार थाना को0देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 2238 मुकेश कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक 19.09.2025

## -प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को अपहरण के मामले में 07 वर्ष का कारावास व 30 हजार ₹ के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई:-

अवगत कराना है, कि दिनांक 30.07.2018 को अभियुक्त अनुज पुत्र ईसम सिंह निवासी पृथ्वी विहार कालोनी थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना पर मु0अ0स0-326/2018 धारा 366,368 भादवि थाना नकुड जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-154/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय कक्ष संख्या-1 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 19.09.2025 अभियुक्त अनुज पुत्र ईसम सिंह निवासी पृथ्वी विहार कालोनी थाना सदर जनपद करनाल हरियाणा को मु0अ0स0-326/2018 में धारा 366,368 भादवि का दोषी पाते हुए अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 30 हजार ₹ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री सतीश सैनी

विवेचक -उ0नि0 गजेन्द्र सिंह यादव

पैरोकार -का0 1974 देवेन्द्र कुमार थाना नकुड जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक:-19-09-2025

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नागल, सहारनपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा व 02 जिन्दा कारतूस बरामदा

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्र की रखने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग के दौरान **अभियुक्त रितिक पुत्र रोहताश निवासी ग्राम फतेहपुर गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर** को ग्राम भाटखेडी के जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 292/25 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रितिक पुत्र रोहताश निवासी ग्राम फतेहपुर गुर्जर थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नांगल जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री रवि कुमार थाना नागल सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री बन्टी सिंह थाना नागल सहारनपुर
4. का0 38 विक्रान्त कुमार थाना नागल सहारनपुर
5. का0 2337 कृष्णगोपाल थाना नांगल जिला सहारनपुर



दिनांक:-19.09-2025

-प्रेस नोट-

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना नागल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को थाना नागल पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त **अभियुक्त सोनी पुत्र ज्ञानसिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नागल सहारनपुर** को संबंधित वाद सख्या 871/24 धारा 41/102 सीआरपीसी व 420/467/468/471 भादवि चालानी थाना नागल सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सोनी पुत्र ज्ञानसिंह निवासी ग्राम पहाडपुर थाना नागल सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

6. प्रभारी निरीक्षक श्री रमेश चन्द्र सिंह थाना नागल जनपद सहारनपुर
7. उ०नि० श्री आनन्द कुमार थाना नागल सहारनपुर
8. का० 2043 सद्दाम हुसैन थाना नागल जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 19.09.2025

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला  
वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 28.08.2025 को वादी जुनैद पुत्र निसार अहमद निवासी पीर वाली गली नं० 24 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत नासिर पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सिकडी खुर्द, गाँव निकट मोदीनगर, जिला गाजियाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 336/2025 धारा 137(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में महिला संबन्धी अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा **अभियुक्त नासिर पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सिकडी खुर्द, गाँव निकट मोदीनगर, जिला गाजियाबाद** को गोल कोठी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व विवेचना के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1) बीएनएस व 4(2) पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –**

नासिर पुत्र आरिफ निवासी ग्राम सिकडी खुर्द, गाँव निकट मोदीनगर, जिला गाजियाबाद

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–**

1. उ०नि० श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 157 संदीप कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. है०का० 633 फुरकान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

➡ मिशन शक्ति के अंतर्गत महिलाओं व बालिकाओं के प्रति संवेदनशीलता, सुरक्षा, स्वावलंबन व सम्मान को सुरक्षित करना सहारनपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

➡ उ०प्र० सरकार की महत्वकांक्षी योजना अभियान “मिशन शक्ति के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा ग्राम/कस्बा/मौहल्ला/शिक्षण संस्थानों इत्यादि पर भ्रमण/चौपाल लगाकर छात्राओं/बालिकाओं एवं महिलाओं को उनके अधिकारों, वूमन पावर लाइन-1090, यूपी-112, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देकर लगातार जागरूक किया जा रहा है।